न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/374

1. भैरू आत्मज मूल्या जाति बलाई चौपदार निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी राज0 द्वारा शंकर चोपदार निवी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. मंजू पुत्री गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी बामनगॉव हाल पत्नी रामस्वरूप शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. हेमराज आत्मज रामनाथ जाति धाकड निवीस बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. ओमप्रकाश आत्मज किशना जाति बलाई चोपदार निवीस बामनगॉव हाल निवीस भैरूजी का चौक किशोरपुरा कोटा ।
3. रवी आत्मज किशना जाति बलाई चोपदार निवीस बामनगॉव हाल निवीस भैरूजी का चौक किशोरपुरा कोटा ।
4. पप्पू आत्मज किशना जाति बलाई चोपदार निवीस बामनगॉव हाल निवीस भैरूजी का चौक किशोरपुरा कोटा ।
5. सीताराम आत्मज मोती जाति बलाई चोपदार निवासी उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक ।
6. बरधी पत्नी मोती जाति बलाई चोपदार निवीस उखलाना तहसील उनियारा जिला टोंक ।
7. गीता पुत्री गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी बामनगॉव हाल पत्नी पप्पू शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सुंवासा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
8. सीमा गोपाल जाति ब्राह्मण निवासी बामनगॉव हाल पत्नी किशन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सुवांसा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
9. बीना पत्नी नारायण जाति महाजन निवासी बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
10. भूमिधारी तहसीलदार तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 26.04.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बामनगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी में खँसरा नम्बर 1904 रकबा 18 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी की भूमि है जिस पर आने–जाने का एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 1886 में होकर खसरा नम्बर 2040 एवं खसरा नम्बर 1903 की मेर पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होकर वादी की भूमि पर पहुंचता है उक्त रास्ता 15 फिट चौंडा है । प्रतिवादीगण वादीगण के आने–जाने के रास्ते को नष्ट भ्रष्ट कर डोल लगाकर बंन्द करने पर आमादा हैं । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः चरण संख्या में वर्णित भूमि एवं परिशिष्ट 'क' में लाल स्याही से वर्णित रास्ते पर वादी का सुखाधिकार घोषित किया जावे गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1886 में होकर पूर्व से पश्चिम खसरा नम्बर 2040 एवं खसरा संख्या 1903 की मेर पर होकर निकल रहे 15 फुट चौडे रास्ते को जो वादी के खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1904 में जाता है को भू–राजस्व अभिलेख नक्शा ट्रेस में दर्ज किया जावे प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादी के रास्ते के अधिकार व सुखाधिकार में कोई रूकावट नहीं डाले रास्ते को अवरूद्ध नहीं करे वादी द्वारा उपयोग में लिये जा रहे रास्ते के उपयोग व उपभोग आवागमन में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 24.05.2017 के द्वारा वादी का वाद डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.05.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही सरसरी तौर पर रास्ते के बाद को निस्तारित कर कानूनी त्रुटि की है । लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है जिसमें अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है और न ही पक्षकारान के द्वारा किसी प्रकार का कोई राजीनामा किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विपरीत निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

8. हमने प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में राशि जमा की रसीद की फोटो

प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 की फोटो प्रति नया खाता संख्या 371 और 123 की फोटो प्रति एवं नजरी नक्शे की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2068–71 नया खाता संख्या 672 , 117, एवं 348 की प्रमाणित प्रतियॉ हैं । पेश किये गये दस्तावेज प्रकरण से सम्बन्धित हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 द्वारा एक वाद रास्ता दिये जाने का अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधनियम के तहत पेश किया जिसमें अपीलान्टगण के द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया और अपीलान्ट की बिना जानकारी में ही इसको लोक अदालत में रखा गया । अपीलान्ट ने कोई राजीनामा लोक अदालत में पेश नहीं किया था, सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, वाद रास्ते से सम्बन्धित था जिसकी सुनवाई का श्रवणाधिकार प्रथम ग्राम पंचायत को व उसके बाद तहसीलदार को है । अधीनस्थ न्यायालय ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादी के खाते की भूमि तक पहुंचने का रास्ता आराजी खसरा नम्बर 2040 और खसरा नम्बर 1903 की मेडर पर होकर है जो 15 फिट चौडा है अन्य कोई रास्ता नहीं है । अपीलान्ट को मेड पर होकर जाने का अधिकार है । वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251(क) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री किया है और रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में राशि जमा करवाई है और रास्ता कायम किया जा चुका है। निर्णय की पालना हो चुकी है । मेड पर होकर अपने खेत पर आने–जाने का परम्परागत सुखाधिकार राजस्थान से माना हुआ है व प्रत्येक खातेदार काश्तकार को उपलब्ध है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.05.2017 बहाल रखा जावे । आरएलडब्ल्यू 1962 पेज 458 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 के द्वारा धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें पत्रावली जवाब में लम्बित थी और उसमें दिनांक 07.07.2017 की तारीख दी गई । इससे पूर्व ही इसे दिनांक 24.05.2017 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी की उपस्थिति और तहसीलदार की उपस्थिति दर्ज की गई है और उसी दिन निर्णय पारित किया गया है । पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा पेश नहीं किया गया है । अपीलान्ट उस तारीख पर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं और अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अपीलान्ट को लोक अदालत में उपस्थित होने का कोई नोटिस जारी किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में सलग्न नहीं हैं । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के अनुसार अनिवार्य है ।

12. लोक अदालत में बिना सीपीसी की पालना किये निर्णय पारित किया है जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष उपस्थिति होकर विधिक रूप से राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट को परम्परागत रास्ते का सुखाधिकार प्राप्त है । उन्होंने आरएलडब्ल्यू 1962 पेज 458 उद्धरत की है । रास्ते का सुखाधिकार 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से शासित होता है, जिसका क्षेत्राधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं है वरन् ग्राम पंचायत व तहसीलदार को होता है । धारा 251 ए के तहत नया रास्ता कायम किया जाना है । नया रास्ता तभी कायम किया जा सकता है जब रिपोर्ट तहसील से इस आशय की आती है कि अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है यह रिपोर्ट आई0एल0आर0 से नीचे के स्तर के अधिकारी की नहीं होनी चाहिए । इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के अभिभाषक द्वारा उद्धरत नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है जो खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.05.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारान की साक्ष्य लेकर सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 10.06.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 26.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

26/4/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा